(12) (120)

न्यायालय :— श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs-20/-

R-3515-III/14

मनवसिया पिता रामसुफल मिश्रा उम्र 60 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम गाढा 138 (डोरी) तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0 ——— आवेदिका / निगरानीकर्ता

बनाम

कमल नारायण सिंह तनय जवाहर सिंह निवासी ग्राम भितरी पोस्ट परिहारनपुर्वा तह0 जबा जिला रीवा म0प्र0 —— अनावेदक / गैर निगरानी कर्ता

660/26.9.14

लवकुश द्विवेदी एड द्वारा आज दिनांक 26.9.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक अतरैला तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 25/अ12 /13—14 निर्णव व आदेश दिनांक 16—07—14 ई0

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0सं01959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2— यह कि अनावेदक / गैर निगराकार द्वारा ग्राम गाढा 138 की आराजी भूमि खसरा क0 623/1, 624/1, 625/1 रकवा कमशः 0.109आरे, 0.040 आरे, 0.075 आरे कुल किता 3 के सीमांकन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिसका सीमांकन दिनांक 14—07—14 को स्थल पंचनामा नजरी नक़्शा फील्ड बुक बना कर दिनांक 14—07—14 को ही राजस्व निरीक्षक का प्रतिवादी बना कर दिनांक 14—07—14 को ही सीमाकन की पुष्टि कर दिय है। सरहद्दी कास्तकारों को सूचना दिनांक 12—07—14 को जारी किया सीमांकन सूचना में मात्र अनावेदक को दी गई अन्य सरहद्दी कास्तकार निगरानीकर्ता को व ददोल मल्लाह को सूचना सीमांकन की नहीं किया और अनावेदक की उपस्थित मै एक पक्षीय सीमांकन किया गया जो विधि संगत नहीं है ।

3— यह कि निगरानी कर्ता सरहद्दी कास्तकार के रूप में भूमि खसरा क0 631 /1 रकवा 1.00 एकड की भूमि स्वामी है और इसी आराजी मे पचास वर्ष से मकान बनाकर काबिज दखील है अनावेदक द्वारा हल्का पटवारी व कानून गो

नि0अं0 मनवसिया

(12)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0--**3515-III**/2014 जिला–रीवा

श्रीमती मनवसिया मिश्रा/कमल नारायण सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लवकुश प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त अतरैला, तहसील जवा के प्रकरण क्रमांक 25/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम. शर्मा), सदस्य	